संख्या-28/2017-1573 ई-2/तेरह-2017-37/1999

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 जुलाई,2017

विषय:- होटल फोर प्वाइन्ट्स बाई शेरेटन यूनिट ऑफ मेसर्स प्राइम प्लाजा होटल्स प्रा0लि0 सी0-1, सी0-2, ताजनगरी फेज-1, फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-76/3/जि0आ0अ0/आगरा, दिनांक 23 जुलाई,2015 तथा पत्र संख्या-169/आब0सहा0, दिनांक 28 जून,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 15-7-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-147/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-7/एफ0एल0-6-7/बार अनुज्ञापन/आगरा, दिनांक 10 दिसम्बर,2016 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल फोर प्वाइन्ट्स बाई शेरेटन यूनिट ऑफ मेसर्स प्राइम प्लाजा होटल्स प्रा0 लि0, सी0-1, सी0-2, ताजनगरी फेज-1, फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृतकिये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-28/2017-1573(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-147/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-7/एफ0एल0-6-7/बार अनुज्ञापन/आगरा, दिनांक 10 दिसम्बर,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।